1.

न्यायालयः– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, किशनगंज।

उपस्थितिः– सुरेश कुमार सिंह– द्वितीय,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
किशनगंज।

किशनगंज, दिनांक 04वीं जून, 2026

जमानत आवेदन संख्या– 140/2026

अन्तर्गत टेढ़ागाछ थाना कांड संख्या– 112/2026

कुन्दन कुमार ..... (अभियुक्त)

बनाम

बिहार सरकार (विपक्षी पक्ष)

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ताः– श्री अभिनव आलोक, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ताः– श्री सुरेन प्रसाद साहा, अपर लोक अभियोजक।

04.06.2026 अभियुक्त कुन्दन कुमार की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। अभियुक्त दिनांक 06.04.2026 से कारा अभिरक्षा मे निरूद्ध है। यह मामला टेढ़ागाछ थाना कांड संख्या 112/2026 अन्तर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 341(1), 238, 3(5) एवं आई.टी. एक्ट की धारा 66(सी), 66(डी) के तहत दर्ज किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजन को प्राप्त कराई गयी है। जमानत आवेदन पर उभयपक्षो को सुना।

सूचक के द्वारा दिये गये टंकित स्वबयान के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि दिनांक 02.04.2026 को समय करीब 18.00 बजे इन्हें गुप्त सूचना मिली कि ग्राम भोजपुर स्थित किराना दुकान मे मनोहर कुमार शर्मा अवैध तरीके से दस्तावेज मे छेड़छाड कर विभिन्न प्रकार के फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करते है तथा लोगो से मन माने तरीके से पैसा उगाही करते है तथा यह लोग संगठित दस्तावेज अर्न्तराजीय गिरोह से जूड़े हुए है तथा इनलोगों के द्वारा फर्जी मोहर का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर जाली दस्तावेज तैयार किया जा रहा है तथा अन्य व्यक्ति का आधार आई.डी. का प्रयोग करके एवं Clone thumb impression का प्रयोग करके फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने का काम कर रहे है। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु सूचक थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ सूचना वाले स्थान पर पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसका नाम पुछे तब उसने अपना नाम मनोहर कुमार शर्मा बताया। पुलिस की गतिविधि देखकर वहां पर बहुत लोग इकट्ठा हो गये। उसके पश्चात् स्वतंत्र साक्षी के समक्ष अपना एवं अपने टीम का जमा तलाशी देते हुऐ उक्त दुकान का तलाशी लेने प्रारम्भ किया तो दुकान के कोने में टेबूल पर रखा हुआ एक लैपटोप मिला जिसे खोलकर देखने पर उसमे आधार कार्ड वाला Aadhaar Enorlment client software डाउनलोड पाया। उसके बाद लैपटॉप के बगल में Irish Scanner, Thum Scanner, finger Scanner, Camera, CPU, Keybord, Colour Printer मिला। अग्रतर तलाशी के दौरान एक काले पॉलिथिन मे छुपा कर रखा हुआ चार फर्जी मोहर मिला। सूचना सत्यापन के क्रम मे प्राप्त दस्तावेज के रूप मे कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया। दुसरे दराज को खोलने पर विभिन्न बैंको का ए.टी.एम. कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, विभिन्न बैंकों का पासबुक, चेक बुक एवं अन्य सामाग्री मिला। तलाशी के क्रम में उसके पहने हुए पैंट के दाहिने पॉकेट से दो मोबाईल एवं हाथ से एक मोबाईल मिला। उसके बाद लैपटॉप मे रखे आधार बनाने वाले सॉफ्ट्वेयर के बारे मे पुछने पर बताया कि खगड़िया का कुंदन जिसका मोबाईल नं0– 7361916002, 8676037765 है, इससे शुरू के आधार बनाने का आई.डी. तथा उसको एकसेस्स करने के लिए फिंगर

लगातार
04.06.2026

प्रिंट देता तथा प्रत्येक एक्सेस के लिए रूपया लेता था। जप्त सभी दस्तावेजों के बारे में पुछने से इसने कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया। उसके बाद घटना स्थल पर ही जप्त सामानों को जप्ती सूची बनाया गया। उसके पश्चात् सूचक द्वारा दिए गये टंकित स्वअंकित बयान के आधार पर टेढ़ागाछ थाना कांड संख्या 112 / 2026 दर्ज हुआ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त दिनांक 06.04.2026 से कारा अभिरक्षा मे निरूद्ध है। अभियुक्त दुकानदार है। अभियुक्त ने इससे पहले न तो किशनगंज स्थित सत्र न्यायालय मे और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए कोई आवेदन दाखिल किया है। अभियुक्त की ओर से माननीय जे.एम.एफ.सी., किशनगंज मे दाखिल जमानत आवेदन को दिनांक 09.04.2026 को खारिज कर दिया गया है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त पूरी तरह निर्दोष है। अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी है। इनका नाम अभियुक्त मनोहर कुमार शर्मा द्वारा कथित खुलासे के बयान के आधार पर जांच के दौरान अया है। अभियुक्त जेरॉक्स कॉपी और साइबर कैफे की दुकान का मालिक है और वह वैध व्यवसाय मे लगा हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से कोई सामान बरामद नहीं की गई है। और न ही उसकी ओर से कोई आपत्तिजनक वस्तु जप्त की गई है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त को जमानत देने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया और जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना किया।

अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सह अभियुक्त मनोहर कुमार शर्मा के दुकान से अवैध तरीके से दस्तावेज में छेड़छाड कर विभिन्न प्रकार के फर्जी दस्तावेज बनाने एवं आधार कार्ड बनाने वाला सॉफ्टवेयर तथा **Irish Scanner, Thum Scanner, finger Scanner, Camera, CPU, Keybord, Colour Printer,** एक काले पॉलिथिन मे छुपा कर रखा हुआ चार फर्जी मोहर , ए.टी.एम. कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, विभिन्न बैंकों का पासबुक, चेक बुक एवं अन्य सामाग्री मिला। पूछ–ताछ के दौरान सह अभियुक्त मनोहर ने बताया कि आधार बनाने वाला साफ्टवेयर उसने आवेदक अभियुक्त से ही वह आधार बनाने का आई.डी. तथा उसको एक्सेस करने का फिंगर प्रिंट लेता था तथा आवेदक प्रत्येक एक्सेस के लिए पैसा लेता था तथा यह पैसा आवेदक को यू.पी.आई.डी. से भेजा जाता था। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि आवेदक फर्जी दस्तावेज बनाने मे अन्य अभियुक्तगण के साथ शामिल है। अभियुक्त एफ.आई.आर. के नामजद अभियुक्त है और पुलिस के समक्ष अपने स्वीकारोक्ति बयान मे इन्होंने घटना मे अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया अभियोग गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अभियुक्त **कुन्दन कुमार** की तरफ से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

ह0 / –
(सुरेश कुमार सिंह–II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
किशनगंज।
04.06.2026

Date of Judgement/Order	04.06.2026
Date of Reserving Judgement/Order	04.06.2026
Uploading Date	06.06.2026
Uploaded by	Deposition Writer

जमानत आवेदन संख्या– 140 / 2026

अन्तर्गत टेढ़ागाछ थाना कांड संख्या– 112 / 2026